न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू 2.12.2019

मु0न0 144/19

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

ग्राम पंचायत शेखपुरा जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत शेखपुरा तहसील टोडाभीम

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

दिनांक 05.02.2020

निर्णय

वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आखावाडा स्थित आराजी ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 हाल राजस्व रिकार्ड मे किस्म गैर मु0 सिवायचक दर्ज है। जो कि साबिक ख0न0 201 रकवा 14 बीधा से बना है। जिसकी किस्म गै0मु0 आबादी है। सेटलमेन्ट विभाग ने साबिक ख0न0 201 से बनाये ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 की किस्म परिवर्तन कर गै0मु0 सिवायचक दर्ज कर दी गई। आराजी की किस्म परिवर्तन कर दी गई जबकि परिवर्तन करने का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग को नही है। आराजी ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 गैर मु0 किस्म होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा चाहने वाले व्यक्तियो को पट्टे जारी नही हो रहे है। जबकि उक्त आराजी पर 50 वर्ष से आबादी हो रही है तथा उसमे पुराने समय से ही रिहायश कर रहे है। साबिक ख0न0 201 रकवा 14 बीधा गै0मु0 आबादी से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नवीन ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 गै0मु0 बनाकर दर्ज कर दिया है। जबकि सेटलमेन्ट विभाग को ऐसा कोई अधिकार नही था और नाही किसी न्यायालय का आदेश था। वादी ग्राम पचांयत शेखपुरा का सरपंच है। इसलिये सरपंच ग्राम पंचायत शेखपुरा द्वारा वादी की हैसियत से दावा दायर करना पड रहा है तथा रिकार्ड मे दुरूस्ती कराने का हकदार है।

ग्राम आखावाडा के व्यक्तियो द्वारा आवासीय रहवास का पट्टा बनवाने के लिये आवेदन करने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट करने को कहा तो पटवारी हल्का द्वारा गै0मु0 होने की बात कही इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि ग्राम आखावाडा स्थित ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 मे गै0मु0 के स्थान पर गै0मु0आबादी दर्ज फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि ग्राम आखावाडा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 मे आराजी ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 की किस्म गै0मु0रिकार्ड दर्ज है उक्त आराजी पर मौके पर आबादी बसी हुई है। जमाबन्दी सम्वत 2037–40 मे वर्णित साबिक ख0न0 201 रकवा 14 बीधा की किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार साबिक ख0न0 201 रकवा 14 बीधा किस्म गै0मु0 आबादी से नवीन ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 किस्म गै0मु0 ख0न0 777 रकवा 0.13 है0 किस्म बारानी प्रथम, ख0न0 778 रकवा 0.54 है0 किस्म गै0मु0, ख0न0 605 रकवा 0.40 किस्म गै0मु0 आबादी, ख0न0 606 रकवा 0.05 किस्म गै0मु0कुईया बनाये गये है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा लिपिकीय

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

त्रुटी से नवीन ख0न0 784 बनाते समय किस्म गै0मु0 आबादी के स्थान पर गै0मु0 दर्ज हो गया। तथा ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 मे मौके पर आबादी बसी हुई है।

वादी वकील ने सीधे ही बहस करते हुये कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट से भी वस्तु स्थिति आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 मे मौके पर आबादी बसी हुई है। साबिक ख0न0 201 की किस्म पूर्व मे गै0मु0 आबादी दर्ज थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से किस्म गै0मु0 आबादी के स्थान गै0मु0 ही लिखने मे आ गया है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे भी किस्म गै0मु0 ही है जिसे शुद्व किया जाकर गै0मु0 आबादी दर्ज करने के आदेश दिये जावे। पैरोकार सरकार ने भी कथन किया कि साबिक ख0न0 201 की किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड थी। नवीन रिकार्ड तैयार करते समय भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 की किस्म गै0मु0 ही दर्ज कर दिया मौके पर इस ख0न0 मे आबादी बसी हुई है। किस्म गै0मु0 के साथ आबादी दर्ज किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम आखावाडा की जमाबन्दी सम्वत 2037–40 मे दर्ज आराजी ख0न0 201 रकवा 14 बीधा की किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार साबिक ख0न0 201 मि. रकवा 14 बीधा से नवीन ख0न0 605/0.40, 606/0.05, 777/0.13, 778/0.54, 784/2.55 है0 कायम हुये है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सख्या 1 मे दर्ज आराजी ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 की किस्म गै0मु0 दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट मे ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 पर मौके पर आबादी बसा होना अंकित किया है, तथा दौराने बहस इन तथ्यो को स्वीकार करते हुये गै0मु0 के साथ आबादी दर्ज करने का कथन किया है। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन रिकार्ड तैयार करते समय भूमि की किस्म गै0मु0 के स्थान पर गै0मु0 आबादी दर्ज किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 784 रकवा 2.55 है0 किस्म गै0मु0 के स्थान पर किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

05/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 15:53:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: